IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत मे महिला शिक्षा का विकास

द्वारा

संगीता राज शोधकर्ता

(एस.के. एम.यू.दुमका)

सार

संस्कृत में एक उक्ति प्रसिद्ध है , 'नास्ति विद्यासमं चक्षुर्नास्ति मातृ समोहगुरुः' इसका मतलब यह है कि इस दुनिया में विद्या के समान नेत्र नहीं है और माता के समान गुरु नहीं है |बालक के विकास पर प्रथम और सबसे अधिक प्रभाव उसकी माता का ही पड़ता है |माता ही अपने बच्चों को पाठ पढ़ाती है बालक का यह प्रारंभिक ज्ञान पत्थर पर बनी अमिट लकीर के समान जीवन का स्थाई आधार बन जाता है |

प्राचीन काल से हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था काफ़ी उत्कृष्ट थी, जिस कारण भारत शिक्षा के क्षेत्र मे विश्व गुरु के नाम से सम्बोधित किया जाता था |प्राचीन समय मे पुरुष के समान स्त्री को भी शिक्षित किया जाता था ,किन्तु धीरे धीरे विभिन्न कारणों की वजह से उनकी शिक्षा बाधित होती चली गई और आलम यह था कि भारत की स्वंत्रता के वक़्त भारत की कुल साक्षरता दर मात्र 12-14% थी | जिसमे महिला पुरुष की तुलना मे काफ़ी कम साक्षर थी |अतः स्वतंत्रता के पश्चात् भारत सरकार ने महिला शिक्षा की महत्व को समझते हुए कई आयोग और योजना के द्वारा महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया |

भारत मे सबसे अधिक छात्र नामांकन वाले उत्तरप्रदेश मे 49.1%पुरुष और 50.9%महिला छात्र हैं, महाराष्ट्र मे लगभग दूसरा सर्वाधिक छात्र नामांकन हैं 54.2%पुरुष और लगभग 45.8% महिलाएं इसके बाद तमिलनाडु मे 50.5%पुरुष और 49.5%महिला छात्र हैं |पश्चिम बंगाल मे 51.1%पुरुष और 47.9%महिला छात्र हैं. कर्नाटक मे नामांकित महिलाओं का प्रतिशत 50.2% हैं जबकि राजस्थान मे महिला छात्रों कि तुलना मे अधिक पुरुष छात्रों का नामांकन हैं तथापि शिक्षा मे लेंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अभी बहुत कुछ किया जाना शेष हैं | महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्रणाली से दूर रखने वाले सामाजिक ,आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कई राज्यों मे अभी भी मौजूद हैं जहाँ महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम हैं..

कीवर्ड : शिक्षा, महिला,साक्षरता, नामांकन, सामाजिक

शोध साहित्य की समीक्षा

1 वर्मा. डॉ. वैधनाथ प्रसाद, विश्व के महान शिक्षाशास्त्री,प्रकाशक |बिहार हिंदी ग्रन्थ अकादमी, सम्मेलन भवन, पटना -3

कामेनियस सह शिक्षा के पक्षपाती हैं |वे बालक बालिकाओं को एक साथ शिक्षा देना चाहते थे, ताकि वे एक दूसरे को अच्छी तरह जान सके और समझ सके चूकि भावी जीवन मे उन्हें एक साथ जीवन व्यतीत करन है | समाज की धारा को शांति पूर्ण ढंग से प्रवाहित करने के लिए यह अत्यंत आवश्यक है कि स्त्री पुरुष एक दूसरे को मनोवैज्ञानिक दृष्टि से समझे वे अपने भावी जीवन मे अपरिचित से मालूम न पड़े |

2 आधुनिक शिक्षा की समस्याए. प्रकाशक |दिल्ली स्कूल पुस्तक सदन

हमारे देश मे बच्चों की शारीरिक सुरक्षा सबसे अधिक आवश्यक प्रतीत हुई हैं |सरकारी और सार्वजनिक कल्याण के लिए बनी सभाओ को पूर्व प्रारम्भिक शिक्षा के विकास व स्थापना के लिए की गई |प्रत्येक योजना को आश्रय देना चाहिए और इसके लिए पर्याप्त धन की व्यस्था करनी चाहिए | सरकार को अन्य योजनाओं के साथ साथ माता पिता की शिक्षा पर भी ध्यान देना आवश्यक हैं | सरकार व जनता को सबसे अधिक तो स्त्री कल्याण संगठन को सहायता देनी चाहिए जिसने इस योजना को आगे बढ़ाने मे अपना सहयोग दिया हैं |

3 शिक्षा के दार्शनिक एवं समाजशास्त्रीय आधार

(MAED -101)

प्लेटो ने स्त्री के महत्व को स्वीकार करते हुए बताया हैं कि पुरुष और स्त्री मे कोई मौलिक भेद नहीं हैं | जो कार्य पुरुष कर सकते हैं, वह कार्य स्त्री भी कर सकती हैं. यह बात दूसरी हैं कि पुरुष अधिक बलवान होते हैं और स्त्रियों से कुछ शक्तिशाली होते हैं पर ये भेद गुण का नही होकर मात्रा का हैं |अतः स्त्रियों और पुरुषो को एक सी शिक्षा मिलनी चाहिए. खेल कूद, व्यायाम, घुड़सवारी, सैन्य संचालन आदि कि शिक्षा केवल पुरुषो को ही नहीं वरन स्त्रियों को भी मिलनी चाहिए |

अध्ययन के उद्देश्य :

. भारत में महिलाशिक्षा की प्राचीन स्थिति का विश्लेषण |

. भारत में महिला शिक्षा की मध्यकालीन स्थिति का विश्लेषण |

. अंग्रेजी शासन काल में भारतीय महिला की शिक्षा स्थिति का विश्लेषण |

. भारत में महिला शिक्षा की वर्तमान स्थिति का विश्लेषण |

. महिला शिक्षा के महत्व |

. महिला शिक्षा की समस्याएं |

क्रियाविधि (Hypothesis)

इस शोध का अध्ययन वर्णनात्मक एवं दार्शनिक विश्लेषणात्मक प्रकृति का है एवं द्वितीयक आंकड़ों पर आधारित शिक्षा शास्त्र, दर्शनशास्त्र आदि विषयों की संदर्भ पुस्तकों एवं प्रभात समाचार पत्र , जनरल में प्रकाशित लेखों का अध्ययन एवं राष्ट्रीय डेटा प्रमाणिक और विश्वसनीय स्रोत से लिए गए हैं |

परिचय

महिला शिक्षा देश के सम्पूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण हैं |यह प्रभावी दवा के समान हैं जो यह जान सकती हैं ,कि रोगी को कैसे ठीक किया जाए और उनका स्वास्थ्य कैसे ठीक किया जाए | एक शिक्षित महिला अपने व्यक्तिगत और व्यवसायिक जीवन दोनों का प्रबंधन करने मे सक्षम होती हैं | राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनपीई),1986 जैसा कि 1992 संसोधित किया गया था, एक पथ प्रदर्शक नीति दस्तावेज, भारत सरकार की स्पष्ट प्रतिबद्धता को स्पष्ट करता हैं,कि शिक्षा का उपयोग महिलाओं की स्थिति मे बुनियादी परिवर्तन के एजेंट के रूप मे किया जयेगा | अतीत की संचित विकृतियो को बेअसर करने के लिए महिलाओं की एक सुविचारित बढ़त होंगी..... यह आस्था और सामाजिक इंजीनियरिंग का कार्य होगा..... महिलाओं की स्थिरता और उनकी सेवाओं मे आने वाली बाधाओं को दूर करना, समय लक्ष्य निर्धारित करना और प्रभावी निगरानी...महिलाओं की बड़ी भीगीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सरकार का हमेशा से निरंतर प्रयास रहा हैं |

भारत मे महिला शिक्षा का इतिहास वैदिक काल से जुड़ा हैं |वैदिक काल (1500-600) ईसा. पूर्व.यह वह समय था, जब ऋग्वेद , सामवेद, यजुर्वेद, अथर्वेद लिखा गया था |उस समय पुरुष के समान ही महिलाओं को अनेक अधिकार प्राप्त थे,हालांकि वैदिक समाज पुरुष प्रधान था, फिर भी महिलाओं का सम्मान पुरुष करते थे. उस समय लड़कों के जैसे लड़कियों को भी शिक्षित किया जाता था, लड़कियों का भी उपनयन संस्कार होता था |बालिकाएं भी गुरु के आश्रम मे शिक्षा प्राप्त करती थी !उस समय की प्रमुख विदुषी थी लोपामुद्रा, घोषा , सिकता, अपाला, सूर्या, आदि प्रमुख विदुषी महिलाए थी |उस समय बालिकाओं का विवाह व्यस्क होने पर होता था, पर्दा प्रथा नहीं थी | धर्म कार्य मे पत्नी पति के साथ भाग लेती थी, इसके अलावा महिलाएं सभा और समिति जैसे संस्थाओं मे भी पुरुषो के साथ भाग लेती थी ,कुल मिलाकर देखे तो स्त्रियों की स्थिति वैदिक काल मे बहुत ही अच्छी और सम्मानित थी |

अतः प्राचीन काल मे शिक्षा प्रणाली बहुत विकसित थी,और मुख्य रूप से वेद, ब्राह्मण ग्रन्थ, आरण्यक, उपनिषद, आदि पढ़ाये जाते थे.किन्तु धीरे धीरे उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं कि स्थिति मे गिरावट आने लगी !हालांकि उनके सम्मान मे कोई खास अंतर नहीं आया लेकिन सामाजिक बुराईया जैसे बाल विवाह, प्रदा -प्रथा,बहु पत्नी प्रथा, जैसी सामाजिक कुरीतियां शामिल होने लगी |

मौर्य काल के बाद से कई विदेशी आक्रांता जिसमे, शक, कुषाण, पहलव आदि शामिल थे | भारत के कई क्षेत्रों मे आक्रमण कर अपने अधिकार मे कर लिया, जिसका प्रभाव भारतीय महिलाओं की स्थिति मे पड़ा | महिलाओं को सुरक्षा के नाम पर घर की चहारदीवारी के अंदर बंद किया जाने लगा, जिससे स्त्रियों की आगे की शिक्षा उनका विकास बाधित होने लगा|

मध्यकाल 11 वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 18 वीं शताब्दी तक के समय तक में स्त्रियों की दशा और भी दयनीय हो गई ! इसका प्रमुख कारण मुगल साम्राज्य की स्थापना थी | लड़कियों के विवाह की आयु 8-9 वर्ष रह गई ,तथा पर्दा प्रथा को और भी अधिक प्रोत्साहित किया गया | पर्दा प्रथा हिन्दू और मुस्लिम दोनों समाज मे बहुत अधिक प्रचलन मे था | बालिकाओं का प्रारंभिक शिक्षा तो हो जाता था , किन्तु उनके आगे की पढ़ाई की व्यवस्था न तो राज्य की और से प्रबंध जाता था ,न ही समाज की और से | दूसरी तरफ बाल विवाह प्रचलन मे था , कम उम्र मे विवाह हो जाने की वजह से भी

जनसाधरण की लड़कियों उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकती थी | किन्तु धनी वर्ग की महिलाएं अपने घर पर ही उच्च शिक्षा ग्रहण कर लेती थी !जिनमे कुछ प्रमुख महिलाएं थी रानी दुर्गावती, नूरजहाँ, मुमताज़ महल, जेबुनिस्सा आदि |

पुनर्जागरण के दौर मे भारत मे स्त्री शिक्षा को नए सिरे से महत्व मिलने लगा | ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा सन 1854 वुड डिस्पेंच मे प्रथम बार स्त्री शिक्षा पर ध्यान दिया गया, और उनके लिए रोजगार की आवश्यकता महसूस की गई ! इससे पहले ज्योतिबा फुले और सावित्री बाई फुले ने 1847 मे पुणे मे एक बालिका विद्यालय की स्थापना की जिसमे सावित्री बाई फुले स्वयं शिक्षिका बनी |

अंग्रेजी शासन काल मे विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी प्रयासों के कारण महिलाओं मे शिक्षा की स्थिति धीरे धीरे सुधरने लगी | वर्ष 1850 तक मद्रास मिशनरियों ने स्कूलों में लगभग 8000 से अधिक लड़कियों का नामांकन कराया था | स्वतंत्रता सेनानी दुर्गा बाई देशमुख ने महात्मा गाँधी के आदर्शो पर चलते हुए स्कूलों की स्थापना की और उसमे महिलाओं को चरखा चलाने और सूत काटने की ट्रेनिंग दी | आजादी के संघर्ष मे लिप्त होने के बावजूद मद्रास विश्वविद्यालय से अपनी कानून की पढ़ाई पूरी की ! जॉन इलियट ड्रिंक वाटर द्वारा 1879 मे महिलाओं के लिए बेथ्यून कॉलेज कीस्थापना की गई | गौरतलब है कि महिलाओं की समग्र साक्षरता दर वर्ष 1882 मे 0.2% से बढ़कर वर्ष 1947 में 6% हो गई |

भारत की आजादी के बाद से महिलाओं के लिए शैक्षिक अवसरों का प्रावधान शिक्षा के क्षेत्र में राष्ट्रीय प्रयास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है | हालांकि इन प्रयासों से महत्वपूर्ण परिणाम सामने आए हैं | फिर भी लैंगिक विषमता अभी भी मौजूद है और ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में तथा लाभ वंचित समुदायों के बीच ज्यादा है | महिलाओं की बड़ी भागीदारी और नामांकन सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को तैयार करने के लिए सरकार का हमेशा से यह प्रयास रहा है | इसलिए उच्च शिक्षा में जेंडर अंतर को कम करना तथा देश में उच्च शिक्षा के नामांकन में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है | आजादी की पूर्व संध्या पर लड़कियों के नामांकन का हिस्सा जो काफी कम था अब वह बढ़ती प्रवृत्ति दिखा रही है |

राधाकृष्णन आयोग द्वारा स्त्री शिक्षा के लिए सुविधाएं का विस्तार किया गया |

शिक्षा तथा समाज कल्याण एवं मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 1974- 75 के अनुसार पुनर्गठित राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद की बैठक मार्च 1974 में हुई थी जिसमें महिला शिक्षा को लेकर अनेक सिफारिशें की गई थी | कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें निम्नलिखित है -

1.राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद द्वारा प्रत्येक बैठक में की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की प्रगति की जांच करने और पथ प्रदर्शन करने और लड़कियों और महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए प्रत्येक राज्य में चालू की गई योजनाओं तथा विशेष उपायों की प्रगति को देखने के लिए एक स्थाई समिति की स्थापना की गई |

2.ग्रामीण क्षेत्रों में अध्यापकों के रूप में काम करने के लिए महिलाओं को प्रेरित करने के लिए कई कदम उठाए गए |

3. लड़कियों तथा महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के लिए सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों में राज्य महिला शिक्षा परिषदे स्थापित की जाने का निर्देश और इनमें सुधार करने के लिए कई योजनाएं आरंभ की गई, जिसके कुछ अच्छे परिणाम सामने आए | उच्च शिक्षा संस्थानों में नामांकित महिलाओं की संख्या जो 1950 - 51 मे 40.000 थी ,वह बढ़कर 1993-94 में लगभग 16.64.000 हो गई इस प्रकार 43 वर्ष की अवधि में 41 गुना से भी अधिक वृद्धि हुई है |

तकनीकी और व्यावसायिक धाराओं में भी महिलाओं की भागीदारी में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है !वर्ष 1950 अकाउंट में यह मात्र 6000 थी जो वर्ष 1986-87 में बढ़कर 46 लाख हो गई, इस प्रकार से 23 गुना वृद्धि हुई है | इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी धाराओं में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों तथा पालिटेक्नीको ने) भी छात्राओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई

|वर्ष 1950 -51 में छात्राओं की संख्या सिर्फ 40 (0.3%) थी | वर्ष 1986- 87 में यह बढ़कर 16. 67 हजार (7.7%) तथा 1993 -94 मैं 78.3 हजार (13.1%) हो गई |

आईआईटी में जेंडर संतुलन में सुधार :

आईआईटी में बीटेक -कार्यक्रमों में महिला नामांकन में सुधार की दृष्टि से उपयुक्त उपाय देने के लिए संयुक्त प्रवेश बोर्ड (जेएबी) द्वारा निदेशक आईआईटी- मंडी की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया था |समिति की सिफारिशों पर आईआईटी परिषद ने 28 अप्रैल 2017 को हुई अपनी 51 वीं बैठक में विचार कर अतिरिक्त सीटें बनाकर 2016 में महिला नामांकन को 8% से बढ़ाकर 2018-19 में 14 %, 2019-20 में 17% और 2020-21 में 20 % करने का निर्णय लिया गया हैं | वर्ष 2018,2019, 2020 के दौरान आईआईटी में बीटेक कार्यक्रमों में महिला नामांकन को क्रमशः 15.29% ,18% ,और 19. 8% तक बढ़ा दिया गया है !वर्ष 2021 में 1534 सुपरन्यूमरी सीटों का सृजन कर बी.टेक में महिला नामांकन 19.72% हो गया है |

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात से अब तक उच्चतर शिक्षा में महिला नामांकन में व्यापक स्तर पर वृद्धि हुई है ! स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महिलाओं का कुल नामांकन 10% से भी कम था जिसमें शिक्षा वर्ष 2012-13 के दौरान 44.40% तक की वृद्धि हो चुकी है |

पिछले दो दशकों के दौरान विकास की दर विशेष रूप से तीव्र रही है! जैसा की तालिका(क) में दिए गए आंकड़ों से स्पष्ट होता है कि प्रति 100 पुरुषों के समक्ष नामांकित महिलाओं की संख्या में वर्ष 1950- 51 की तुलना में वर्ष 2013-14 में 5 गुना से अधिक की वृद्धि हुई है |

उच्चत्तर शिक्षा मे महिला नामांकन मे वृद्धि

प्रति सौ पुरुष शिक्षार्थियों पर महिला शिक्षार्थियों की संख्या :

वर्ष	कुल महिला नामांकन(प्रति हजार)	प्रति 100पुरुषों पर महिला नामांकन
1950-51	40	14
2013-14	10552	79-87

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में शिक्षा को एक ऐसे एजेंट के रूप में देखा गया है जो महिलाओं के स्तर में मौलिक परिवर्तन ला सकें | राष्ट्रीय शिक्षा नीति के द्वारा महिलाओं की निरक्षरता तथा प्रारंभिक शिक्षा तक उनकी पहुंच में बनाए रखने के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने को विशेष सहायता एवं समय सीमा निर्धारित करने तथा कारगर अनुश्रवण के जरिए सबसे अधिक प्राथमिकता दी ! राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अनुसरण में महिला समाख्या शिक्षा के माध्यम से महिला समानता नामक कार्यक्रम तैयार किया गया | महिला सामाख्या इसका शाब्दिक अर्थ है शिक्षा के माध्यम से महिला समानता, महिलाओं को सामर्थवान बनाने की परियोजना | इसका लक्ष्य सेवाएं प्रदान करना नहीं अपितु उसका लक्ष्य - स्वयं के प्रति महिलाओं की जो अवधारणा थी तथा महिलाओं की परंपरागत भूमिकाओं के स्वयं में समाज की जो अवधारणा थी उसमें परिवर्तन लाना था समानता प्राप्त करने के संघर्ष में शिक्षा की केंद्रीयता महिला समाख्या का महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु था |

शुरू के 4 वर्षों में 4 राज्यों उत्तर प्रदेश ,कर्नाटक, गुजरात और आंध्र प्रदेश राज्यों के 15 जिलों में यह कार्यक्रम शुरू हुआ , और वर्ष 1993 -1993 तक 1752 लगभग गांव में भी यह कार्यक्रम लागू किया गया |

गुजरात ,कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के जिलों में महिला समाख्या में संपूर्ण साक्षरता अभियान में उल्लेखनीय भूमिका निभाई है | इन कार्यक्रमों के द्वारा महिलाएं कई समस्याओं का समाधान करने में सक्षम हुई जैसे पेयजल तक पहुंच ,न्यूनतम मजदूरी का भुगतान, शिक्षा में बच्चों की भागीदारी जैसे मुद्दों पर ध्यान देने और घरेलू व सामाजिक हिंसा से जुड़े मुद्दों को हल करने में सक्षम हो सकी |

राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम का असर 9.54 (जनगणना 1991) की महिला साक्षरता में दशकीय वृद्धि दर में प्रतिबिंबित होता है जो पुरुषों के तदनुरूपी आंकड़े (7.76%)से काफी अधिक है तथापि शिक्षा में लैंगिक समानता के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा और योजनाएं चलाई गई जैसे :

1. ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड की योजना में यह प्रावधान किया गया कि भविष्य में भर्ती किए गए शिक्षकों में से कम से कम 50% महिलाएं होनी चाहिए |

2. गैर औपचारिक शिक्षा केंद्रों की कुल संख्या में केवल महिलाओं के लिए काम करने वाले केंद्रों का अनुपात जो पहले 25% था उसे बढ़ाकर 40% करके इस योजना में को हाल ही में संशोधित किया गया है ताकि लड़कियों को शिक्षित करने के लिए और ज्यादा सुविधाएं प्रदान की जा सके |

लड़कियों की संख्या स्कूलों में बढ़ाने के लिए प्रत्येक नवोदय विद्यालय में कुल छात्रों मे कम से कम एक तिहाई लड़कियां हो , नवोदय विद्यालय तथा केंद्रीय विद्यालयों में कक्षा 8 तक लड़कियों को शिक्षा निशुल्क दिए जाने का प्रावधान किया गया |

3. प्लस टू स्तर पर केंद्रीय प्रायोजित कार्यक्रम के अंतर्गत स्कूल बीच में छोड़ देने वाली लड़कियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए उद्यमशीलता पर बल देते हुए व्यवसायिक कार्यक्रम तैयार किए गए |

विश्वविद्यालय और कॉलेज स्तर पर महिलाओं की शिक्षा जो विविधता प्रदान की गई है तथा समाज उद्योग और धंधे की बदलती हुई अपेक्षाओं के अनुरूप इससे फिर से प्रबोधित किया गया है |

वर्ष 1992-93 मे इसके अलावा सरकार द्वारा बालिका शिक्षा के क्षेत्र में एक नई पहल शुरू की गई , माध्यमिक उच्चतर /माध्यमिक स्कूलों की छात्राओं के लिए भोजन/ छात्रावास सुविधाओं को सुदृढ़ बनाने हेतु स्वयंसेवी संगठनों के लिए सहायता की योजना को मूर्त रूप देना 8 वीं योजना के दौरान इस योजना के अंतर्गत 3580 बालिकाओं को शामिल करने का प्रस्ताव रखा गया था |

राष्ट्रीय महिला शिक्षा समिति द्वारा यह कहा गया कि केंद्र और राज्य सरकारों को लड़कियों की शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए !लड़कियों की समुचित शिक्षा के लिए प्रत्येक राज्य मे एक महिला शिक्षा निर्देशक नियुक्ति की जानी चाहिए !. विश्व विद्यालय अनुदान आयोग को लड़कियों की शिक्षा के लिए अलग से एक निश्चित राशि निर्देशित करनी चाहिए | आठवीं कक्षा तक बालिकाओं के लिए नि:शुल्क शिक्षा व्यवस्था किया जाए! विभिन्न सेवाओं मे बड़ी संख्या मे सीटे उनके लिए आरक्षित की जानी चाहिए |

कोठारी आयोग द्वारा इंटरमीडिएट स्तर तक लड़कियों के लिए अलग विद्यालय खोलने की सिफारिश की गई तथा स्त्री शिक्षा के मार्ग मे आने वाली समस्त कठिनाईयों को समाप्त करने हेतु राज्य व केंद्र सरकार द्वारा मिलकर काम करने का निर्णय लिया गया |

स्कूलों मे लड़कियों कि संख्या बढ़ाने, कन्या भ्रूण हत्या रोकने, बीच मे स्कूल छोड़ने वाली लड़कियों की संख्या को कम करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 2004 मे कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय योजना,2015 मे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना शुरू की गई हैं |

इसके अलावा भारत में महिलाओं के लिए विशेष विश्वविद्यालय की भी व्यवस्था है ! 2020 तक भारत में 17 विश्वविद्यालय विशेष रूप से महिलाओं के लिए है , 3 राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु में दो - दो , इसके अलावा आंध्र प्रदेश ,असम,बिहार,दिल्ली ,हरियाणा ,हिमाचल प्रदेश ,महाराष्ट्र ,उड़ीसा ,उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में एक- एक है |

इन कोशिशो के परिणामस्वरुप भारत में साक्षरता दर 1951 मे 18.33 प्रतिशत से बढ़कर 2011 की जनगणना के अनुसार 74.04 प्रतिशत प्रतिशत हो गई | महिला साक्षरता दर भी 1951 में करीब 8.6 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 65.46 प्रतिशत हो गई | देश में साक्षरता के आंकड़े भारत के महापंजीयक द्वारा संचालित दशकीय जनगणना अभियान के माध्यम से एकत्र किए जाते हैं | पिछली जनगणना 2011 में हुई थी ! 2011 की जनगणना के अनुसार देश में 7 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग में साक्षरता दर 74.04 प्रतिशत है | 2001 में साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी | महिलाओं की साक्षरता दर 11.79 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 53.67 प्रतिशत से 65.46 प्रतिशत हो गई , जबकि पुरुषों की साक्षरता दर 6.88प्रतिशत वृद्धि के साथ 75.26 से 82.14 प्रतिशत हो गई | अतः पिछले 10 सालों में महिला साक्षरता दर में वृद्धि पुरुष साक्षरता दर की तुलना में 4.91प्रतिशत अधिक थी, फिर भी अगर हम देखें तो भारत की महिला साक्षरता दर विश्व की औसत साक्षरता दर 79.7 प्रतिशत से काफी कम है |

भारत की साक्षरता दर 1951 - 2011

	1951	1961	1971	1981	1991	2001	2011
महिला	8.86	15.35	21.97	29.76	39.21	53.67	65.46
पुरुष	27.16	40. 40	45.96	56.38	64.13	75.26	82.14
कुल	18.33	28.30	34.45	43.57	52.21	64.83	74.04

पिछले 10 सालों में पुरुषो के मुकाबले करीब 24 लाख महिलाए ज्यादा साक्षर हुई हैं | केरल 93.91 प्रतिशत की साक्षरता दर , बारीकी से लक्ष्यद्वीप के द्वारा पिछा (92.28) एचडी और मिजोरम 91.58 प्रतिशत के साथ शीर्ष पर है | सबसे कम देश में साक्षरता दर,बिहार 63.82 साक्षरता प्रतिशत ,अरुणाचल प्रदेश मे साक्षरता प्रतिशत 66.95,और राजस्थान में 67.06 प्रतिशत साक्षरता दर है |राज्यों मे सबसे कम साक्षर हैं | वही झारखण्ड राज्य मे महिलाओं की साक्षरता प्रतिशत पुरुषो की तुलना मे तेजी से बढ़ा हैं.. वर्ष 2001 मे झारखण्ड की कुल साक्षरता दर 53.56 प्रतिशत थी, पुरुषो की साक्षरता प्रतिशत 67.30 प्रतिशत व महिलाओं का 38.37 प्रतिशत था | वर्ष 2011 मे झारखण्ड की कुल साक्षरता दर मे 12.5फीसदी की बढ़ोतरी हुई | साक्षरता दर बढ़कर 66.41 फीसदी हो गया. इस दौरान पुरुषो की साक्षरता मे 9.50 तो महिलाओं की साक्षरता दर मे 13.67 फीसदी की बढ़ोतरी हुई हैं |

महात्मागाँधी का मानना था कि ' एक ब्यक्ति को पढ़ाओगे तो एक व्यक्ति ही शिक्षित होगा लेकिन एक स्त्री को पढ़ाओगे तो पूरा परिवार शिक्षित होगा | दरअसल गांधीजी शिक्षा के माध्यम से महिलाओं कि मुक़्ती मे विश्वास करते थे |

महिला शिक्षा की उपयोगिता एवं कठिनाईयां :

लड़कियों कि शिक्षा मे निवेश समुदाय देशों और पूरी दुनिया को बदल देता हैं. शिक्षा प्राप्त करने वाली लड़कियों की कम उम्र मे शादी करने की संभावना कम होती हैं, और स्वस्थ्य उत्पादक जीवन जीने की संभवना अधिक होती हैं |

लड़िकियो की शिक्षा अर्थव्यस्था को मजबूत करती हैं और असमानता को कम करती हैं | यह अधिक स्थिर, लचीले, समाज मे योगदान देता हैं. एक अच्छी तरह से शिक्षित महिला एक बेहतर माँ, कार्यकर्ता और नागरिक बनने के आवश्यक कौशल, ज्ञान और आत्म - आश्वासन प्रदान करती हैं |

लड़किया स्कूल से बाहर क्यों हैं ?

महिलाओं और लड़कियों को शिक्षा प्रणाली से दूर रखने वाले सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक कारक कई राज्यों में अभी भी मौजूद है जहां महिला साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है |

गरीब महिलाओं का अधिसंख्य भाग ऐसी परिस्थितियों में जीवन यापन करता है जो उन्हें शिक्षा तक पहुंचने नहीं देती है | इन कारकों में शामिल है :--

1. गरीबी ,जीवित रहने के मुद्दे तथा मजदूरी, इईंधन और चारा के लिए रोज के संघर्ष |

2. जानकारी तक पहुंच का अभाव तथा निर्णय लेने की प्रक्रिया से दुराव |

3. स्वयं के प्रति हीन भावना और विश्वास का अभाव, तथा |

4. पर्याप्त और लैंगिक संवेदनशील शिक्षा ढांचा का अभाव |

इन कारकों तथा दूसरे अन्य कारकों के परिणामस्वरुप महिलाएं स्वयं को बनाए रखने के दुष्चक्र में जगह दी गई है ! शिक्षा में भाग लेने में असमर्थता इस रुढ़ीबद्ध धारणा को बनाए रखती है,कि शिक्षा उनके लिए अप्रसांगिक है |

कारण अनेक हैं.. जैसे बाल - विवाह, और लिंग आधारित हिंसा देशों और समुदायो के बीच अलग -अलग हैं | शिक्षा मे निवेश करते समय गरीब परिवार अक्सर लड़कों का पक्ष लेते हैं | कुछ जगहों पर 'स्कूल लड़कियों की सुरक्षा, साफ - सफाई की जरूरतों को पूरा नहीं करते हैं |

यूनिसेफ देश में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रही है ! यूनिसेफ के अनुसार दुनिया भर में 129 मिलियन लड़कियां स्कूल से बाहर है |

वास्तव मे यदि गंभीरता के साथ देखा जाए तो यही ज्ञात होगा कि भारत के पतन और अवनती का एक प्रमुख कारण स्त्रियों की अशिक्षा हैं |स्त्री शक्ति की सजीव प्रतिमा हैं | मनु ने कहा हैं "जहाँ स्त्रियों का आदर होता, वहां देवता प्रसन्न रहते हैं, और जहाँ उनका आदर नहीं होता वहां सारे कार्य और प्रयास निःसफल हो जाते हैं |प्राचीन समय से हमारे देश मे स्त्रियों को शक्ति का प्रतीक माना जाता था, किन्तु वर्तमान समय मे स्त्रियों की स्थिति मे गिरावट आई है "बाल्यावस्था के लड़के लड़की को यह भी ज्ञान नहीं होता हैं कि वे समाज के भावी निर्माता हैं किसी अबोध बालिका पर मातृत्व का भार डालना क्या धर्म हैं | स्त्री पुरुष का विवाह ज्ञान, आत्मविश्वास, परिश्रम आदि मानवीय गुणों के विकास के बाद ही अधिक उचित रहता हैं |

प्रत्येक भारतीय को चाहिए कि अपने समस्त ज्ञान को स्त्री और पुरुष मे समान रूप से वितरित करें ! स्त्री शिक्षा से ही मानव का महान लाभ संभव हैं, क्योंकि विस्तार ही जीवन हैं तथा संकीर्णता ही मृत्यु हैं ,प्रेम ही जीवन हैं और घृणा ही मृत्यु हैं.. अतः प्रत्येक भारतीय को जीवित रहने के लिए यह आवश्यक हैं, की वह अपने सीमित ज्ञान को असीमित लोगो मे

प्रचार करें | लड़कों तथा लड़कियों दोनों को ही पुस्तकीय शिक्षा के अलावा चरित्र की भी शिक्षा प्राप्त करनी चाहिए, जिससे समाज मे सदाचार का वातावरण सदैव बना रहे, इससे उनके मानसिक बल की वृद्धि हो कर बौद्धिक विकास होता हैं तथा उन्हें अपने पैड़ो पर खरे होने की शक्ति प्राप्त होती हैं |

स्त्रियों की अनेक समस्याओं का समाधान शिक्षा द्वारा ही हो सकता हैं | स्त्रियों की शिक्षा का केंद्र कर्म है जॉन डिवी ने शिक्षा को एक सामाजिक प्रक्रिया के रूप मे स्वीकार किया उसने स्पष्ट किया कि मनुष्य कुछ जन्मजात शक्तियों के साथ जन्म लेता हैं और इन शक्तियों का विकास, सामाजिक चेतना मे भागीदार के फलस्वरूप होता हैं |

आधुनिक युग मे नारियों को आत्मरक्षा के भी उपायो को भी सीखना चाहिए . संघमित्रा, लीला, अहिल्यावाई, मीरावाई , झांसी की रानी के आदर्शो को अपना कर स्त्रियों को पवित्रता , निर्भयता और ईश्वरपर्यानता के गुणों का अभ्यास करना चाहिए | शिक्षित और धार्मिक माताओं के ही घर मे महापुरुष जन्म लेते हैं | स्त्रियों के उन्नति से संस्कृति, ज्ञान शक्ति और भक्ति का देश मे जागरण हो जाएगा |

भारत में महिला शिक्षा वर्तमान परिदृश्य

सकल नामांकन अनुपात

सभी श्रेणियां

वर्ष	पुरुष जीईआर	महिला जीईआर	कुल जीईआर
2012-13	22.7	20.1	21.5
2013-14	23.9	22.0	23.0
2014-15	25.9	23.2	24.3
2015-16	25.4	23.5	24.5
2016-17	26.0	24.5	25.2
2017-18	26.3	25.4	25.8
2018-19	26.3	26.4	26.3
2019-20	26.9	27.3	27.1

श्रोत (एआईएसएचई 2012-13 से एआईएसएचई 2019-20)

वर्ष 2020 देश में 18 से 23 वर्ष आयु वर्ग के लिए उच्चतर शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात जीईआर 27.10% है | पुरुष जनसंख्या के लिए सकल नामांकन अनुपात 26.9% और महिलाओं के लिए 27.3% रहा |

पिछले 8 वर्षों मे जहां पुरुषों का सकल नामांकन अनुपात मात्र 4.20% बढ़ा है वहीं महिलाओं का सकल नामांकन अनुपात 7.20% बढ़ा है |

जहां तक जीईआर (महिला)का संबंध है तमिलनाडु ,हरियाणा ,हिमाचल प्रदेश,महाराष्ट्र, तेलंगाना ,उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर पूर्वी राज्यों जैसे राज्यों ने प्रभावशाली प्रगति की है |

1.भारत में पुरुषों की तुलना में महिलाओं की साक्षरता दर काफी कम है वर्ष 2011 की जनगणना के आंकड़े दर्शाते हैं कि राजस्थान (52.2%)और बिहार(51.50%)में महिला शिक्षा की स्थिति काफी खराब है |

2. जनगणना आंकड़े यह भी बताते हैं कि देश की महिला साक्षरता दर (64.46%) देश की कुल साक्षरता दर(74.04)प्रतिशत से भी कम है |

ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन की रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार

1. 60.57 % कॉलेज ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित है और 10.75% कॉलेज विशेष रूप से महिलाओं के लिए है |

2.उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन अनुमानित 38.5 मिलियन हैं जिनमें 19.6 मिलियन बालक और 18.8 मिलियन बालिकाएं हैं कुल नामांकन की 49% बालिकाएं हैं |

3. उच्चतर शिक्षा में कुल नामांकन का 11.1% दूरस्थ नामांकन है जिनमें 44. 5% महिला छात्र है |

4.शिक्षकों की अनुमानित कुल संख्या 15,03,156 है, जिनमें से आधे से अधिक लगभग 57.5% पुरुष शिक्षक और 42.5 प्रतिशत महिला शिक्षक है | अखिल भारतीय स्तर पर प्रति 100 पुरुष शिक्षकों की तुलना में मात्र 74 महिला शिक्षक है |

5. गैर शिक्षण स्टाफ में महिलाओं की औसत संख्या प्रति 100 पुरुष की तुलना में 51 है |

बहुत कम लड़कियों का स्कूलों में दाखिला कराया जाता है और उनमें से भी कई बीच में ही स्कूल छोड़ देती है ,इसके अलावा कई लड़कियां रूढ़िवादी सांस्कृतिक रवैया के कारण स्कूल नहीं जा पाती है |

6. कई अध्ययनों के अनुसार भारत में 15 -24 वर्ष आयु वर्ग की युवा महिलाओं की बेरोजगारी दर 11.5% है जबकि समान आयु वर्ग के युवा पुरुषों के मामले में यह 9.8% हैं | "

वर्ष 2018 में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा जारी रिपोर्ट में कहा गया था कि 15 -18 वर्ष आयु वर्ग की लगभग 39.4 प्रतिशत लड़कियां स्कूली शिक्षा हेतु किसी भी संस्थान में पंजीकृत नहीं है इनमें से अधिकतर या तो घरेलू कार्यों में संलग्न होती है या भीख मांगने जैसे कार्यों में |

आंकड़े यह भी बताते हैं कि भारत में अभी भी लगभग 145 मिलियन महिलाएं ,जो पढ़ने या लिखने में असमर्थ है |

उल्लेखनीय है कि भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की अपेक्षा स्थिति और अधिक गंभीर है |

निष्कर्ष

भारत के कुल आबादी का लगभग आधा हिस्सा महिलाएं हैं अगर हमें कोई लक्ष्य हासिल करना हैं, तो महिलाओं को इसमें भागीदार बनाना होगा, और किसी भी लक्ष्य या चीज को तभी बेहतर ढंग से समझा जा सकता हैं जब महिला शिक्षित हो | भारत अभी विकासशील देशों की चरण मे हैं ,इसलिए महिला शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण हैं |

संदर्भ ग्रन्थ सूची :

1 भारतीय शिक्षा का इतिहास एवं विकास, संजय साहित्य भवन, लेखक - सौरभ अग्रवाल

2 Devlopment of Education system Dr. Kulwinderpal. USI publication

3 मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 1994-95 की वार्षिक रिपोर्ट

4 मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2019-20 की वार्षिक रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय वर्ष 2020 21 की वार्षिक रिपोर्ट

5 वार्षिक रिपोर्ट 1974- 75 भारत सरकार शिक्षा तथा समाज कल्याण एवं संस्कृति मंत्रालय (शिक्षा तथा संस्कृति विभाग)

6 वार्षिक रिपोर्ट 1994-95 भारत सरकार शिक्षा विभाग, 1995

7 www.drishtias.com women education

8 www. Prabhatkhabar. com(update Date wed, sep 8,2021,1:05, PM,1st, ranchi)